UPMP010072662022

न्यायालय Adj V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SWAPAN DEEP SINGHAL), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02717**

Criminal Revision/123/2022

श्रीमती पूनम पत्नी अमन सिंह निवासी अठलकड़ा थाना बेवर हाल निवासी कस्बा व थाना बेवर जिला मैनपुरी।

.....प्रार्थिनी/ निगरानीकर्ती

बनाम

1. उ.प्र. राज्य
2. भूरेलाल पुत्र नामालूम निवासी आवास विकास कालोनी मैनपुरी।
3. अजय कुमार पुत्र उत्तम प्रकाश निवासी बाईपास रोड थाना न्यू आगरा जिला आगरा।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ती श्रीमती पूनम की ओर से विपक्षीगण उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के विरूद्ध योजित की गयी है। इस दाण्डिक निगरानी में विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) मैनपुरी द्वारा परिवाद संख्या 249/2022 श्रीमती पूनम बनाम भूरेलाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 29.07.2022 को चुनौती दी गयी है।

2– तलबिदा पत्रावली के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं के बयान जो श्रीमती पूनम ने अंकित कराये है की अजय कुमार और भूरे लाल मछली पालन विभाग में नौकरी करते है इन्हें परिवादिनी को गांव के लल्लन के माध्यम से जानता हूं, दोनों विपक्षीगण ने परिवादिनी की सरकारी नौकरी लगवाने का वायदा किया था। 4 से 5 महीने पहले भूरेलाल ने परिवादिनी को अपने घर बुलाया और परिवादिनी को नशीली चाय पिलाकर परिवादिनी के साथ बलात्कार किया। भूरेलाल ने परिवादिनी की अश्लील वीडियों क्लिप बनाकर परिवादिनी को ब्लैकमेल किया। अजय कुमार ने परिवादिनी के साथ बलात्कार नहीं किया है। वह परिवादिनी को भूरेलाल के पास लेकर गया था। परिवादिनी ने मेडिकल नहीं कराया। परिवादिनी थाने गयी परंतु रिपोर्ट नहीं लिखी।

3– परिवदिनी को ओर से 202 दं.प्र.सं के अन्तर्गत पी.डब्लू.01 धर्मेन्द्र कुमार पत्नी लालाराम पी.डब्लू.02 मनोज कुमार पत्नी गेंदालाल को परीक्षित कराया गया है।

4– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलबी के प्रश्न पर सुनकर पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया जिससे विपक्षीगण को बतौर अभियुक्तगण तलब किया जा सके एवं परिवादी का परिवाद निरस्त कर दिया गया। अतः परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 29.07.2022 के विरूद्ध निगरानीकर्ती द्वारा यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

5– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में आधार लिये गये हैं कि अवर न्यायालय का आदेश गलत एवं गैर कानूनी है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया गया, इसलिये सही निर्णय नहीं किया गया है। अवर न्यायालय का आदेश

स्पीकिंग आर्डर नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया गया है, इसलिये अवर न्यायालय सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विधिक प्रक्रिया न अपनाकर कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर आदेश पारित कर दिया है जो किसी भी सूरत में बने रहने योग्य नहीं है। अवर न्यायालय का अपने आदेश में यह लिखना की परिवादी के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गयी और पड़ोसियों को पता भी नहीं चला आश्चर्यजनक है बलात्कार जैसी घटना में कभी भी किसी की जानकारी में सहज नहीं आती है। विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादिनी तथा साक्षीगणों द्वारा अपने–अपने बयानों में घटना से सम्बन्धित सारी बाते बतायी है, जिससे प्रथम दृष्टया अपराध कारित होना पाया जाना है, अवर न्यायालय द्वारा फिर भी परिवाद को खारिज करना एक बड़ी भूल है। विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के साथ धोखाधड़ी पूर्ण कार्य कर बलात्कार किया गया है, अदालत का यह कहना है कि परिवादिनी को कहीं कोई चोट भी नहीं आयी हास्यास्पद ही है। अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहना कि इतनी बड़ी घटना घट गयी उसका कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं बेवुनियाद और अविश्वसनीय है। परिवादिनी का यह कहना कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, यह अभियुक्तगण को तलब करने के लिये और प्रथम दृष्टया अपराध के लिये पर्याप्त है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के बयानों पर भी पूर्णरूप से ध्यान नहीं दिया गया साक्षीगण धर्मेन्द्र कुमार तथा गेंदालाल के बयानों पर भी अविश्वास जताया गया है, जबकि विधि के अनुसार प्रथम दृष्टया अपराध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से होना पूरी तरह साबित है, इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा परिवाद खारिज करके सारी भूल की है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 29.07.2022 निरस्त किया जाकर परिवाद में अभियुक्तगण को तलब करने हेतु आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। मुख्यतः इन्हीं आधारों पर फौजदारी निगरानी स्वीकार करने तथा अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.07.2022 निरस्त करने की याचना की गयी।

6– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विचारण न्यायालय का आदेश तर्कसंगत है अतः निगरानी को निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 29.07.2022 को पुष्ट करने का कथन किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता पूर्व कई तिथियों से अनुपस्थित । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि परिवादिनी को विपक्षीगण ने सरकारी नौकरी लगवाने का वायदा किया था। 04 से 05 महीने पहले भूरेलाल ने परिवादिनी को अपने घर बुलाया और परिवादिनी को नशीली चाय पिलाकर परिवादिनी के साथ बलात्कार किया। भूरेलाल ने परिवादिनी की अश्लील वीडियों क्लीप बनाकर परिवादिनी को ब्लैकमेल किया। अजय कुमार ने परिवादिनी के साथ बलात्कार नहीं किया वह परिवादिनी को भूरेलाल के पास लेकर गया था। परिवादिनी ने अपने बयान में विपक्षीगण द्वारा सरकारी नौकरी लगवाने का वायदा करने का कथन किया है जबकि परिवाद पत्र में विपक्षीगण द्वारा पट्टे की जमीन तथा मुफ्त में बीज दिलवाने का वायदा करने का कथन किया था। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों पी.डब्लू.01 व 02 द्वारा नौकरी और पट्टी की जमीन तथा मुफ्त में बीज दिलवाने का वायदा करने का कथन किया था। सर्वप्रथम तो जब परिवादिनी के साथ विपक्षीगण द्वारा 04 से 05 माह पूर्व चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार किया गया था और वीडियों क्लीप बनायी गयी थी तब यदि थाने में रिपोर्ट नहीं भी लिखी गयी थी तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को इस घटना के सम्बन्ध में जरिये डाक या अन्य किसी

माध्यम से अवगत कराकर अभियोग पंजीकृत कराना था और यदि ऐसा किया गया था तो उसके सम्बन्ध में साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था, इसके अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि उसने मेडिकल नहीं कराया। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह भी कथन किया है कि विपक्षीगण नौकरी का झांसा देकर उसके साथ काफी दिनों तक बलात्कार किया गया है और उसकी नौकरी भी नहीं लगवायी। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा साक्ष्य के हर स्तर पर बढा–चढा कर मनगढन्त आधार पर साक्ष्य दिया जा रहा है किन्तु उक्त कथनों के समर्थन में परिवादिनी द्वारा कोई भी ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त घटना का सत्य माना जा सके। परिवादिनी द्वारा किये गये कथनों से यही प्रतीत होता है कि परिवादिनी एवं विपक्षीगण के मध्य आपसी मतभेदों के आधार पर ही परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। परिवादिनी/ निगरानीकर्ती द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में कोई मेडिकल रिपोर्ट या अन्य कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है एवं ना ही ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता प्रतीत होता हो।

अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.07.2022 क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विधिसम्मत तरीके से आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त होने एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.07.2022 पुष्ट होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी संख्या 123/2022 श्रीमती पूनम बनाम उ.प्र राज्य व अन्य निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.07.2022 पुष्ट किया जाता है। वर्तमान निगरानी पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक 19.06.2026

(स्वपनदीप सिंघल)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–05
मैनपुरी।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 19.06.2026

(स्वपनदीप सिंघल)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–05
मैनपुरी।

टाईपकर्ताः– निपेन्द्र सिंह, आशुलिपिक

SWAPAN DEEP SINGHAL

Digitally signed by SWAPAN DEEP SINGHAL
Date: 2026.06.23 13:39:33 +0530